ग्राम पंचायत डंगोली, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के लेखों का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025
भाग-1

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत डंगोली, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया |

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत डंगोली में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमति कंचन रानी	01.04.2024 से 31-3-2025 तक

पंचायत सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री गुरमीत चंद	01-4-2024 से 31-3-2025 तक

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत डंगोली के लेखों अवधि 01.04.24 से 31.03.25 तक के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1)	6.1	अनुदानों का उपयोग हेतु शेष	31.27
2)	7	विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाना	0.03
3)	8.1	संविदाकार / आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से नियमानुसार स्त्रोत पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करना	0.08
4)	8.2	निर्माण कार्य से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे	6.99
5)	8.3	खरीदे हुए सामान का e-way bill प्रस्तुत न करने बारे	3.80
6)	8.4	अग्रिम राशि का समायोजन हेतु शेष पाया जाना	1.07

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन:-

1 गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2020 से 03/2022

क्रम संख्या	पैरा संख्या		
1.	पैरा-3	निर्णीत।	(अंकेक्षण शुल्क ₹7200 की वसूली बैंक ड्राफ्ट संख्या 556287 दिनांक 01.[illegible].2022 द्वारा कर ली गई है)
2.	पैरा-4 (क, ख, ग, घ,च ,छ)	निर्णीत।	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या (क) में पुन: प्रारूपित।
3.	पैरा-5(क व ख)	अनिर्णीत।	
4.	पैरा-6	निर्णीत।	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 6.1 में पुन:

			प्रारूपित	
5.	पैरा-7	अनिर्णीत		
6.	पैरा-8	अनिर्णीत		
7.	पैरा-9	अनिर्णीत		
8.	पैरा-10	अनिर्णीत		
9.	पैरा-11(क, ख, ग)	अनिर्णीत		
10.	पैरा-12	अनिर्णीत		
11.	पैरा-13	अनिर्णीत		
12.	पैरा-14	अनिर्णीत		
13.	पैरा-15	निर्णीत		वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 5 में पुनः प्रारूपित	
14.	पैरा-16	अनिर्णीत		
15.	पैरा-17	अनिर्णीत		
16.	पैरा-18	अनिर्णीत		
17.	पैरा-19	अनिर्णीत		
18.	पैरा-20	अनिर्णीत		
19.	पैरा-21	निर्णीत		वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 10 में पुनः प्रारूपित	

भाग-2

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत डंगोली, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री जीवन कुमार, अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) द्वारा दिनांक 30.06.2025 से 04.07.2025 तक ग्राम पंचायत डंगोली के कार्यालय में किया गया | आय व्यय की विस्तृत जांच हेतू मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया :-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2024-25	02/2025	02/2025

अस्वीकरण :- "इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण ग्राम पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतू राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा"।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत डंगोली, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹5000/- आंका गया। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतू अंकेक्षण अधियाचना संख्या 88 /2025 दिनांक 04.07.2025 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में ग्राम पंचायत डंगोली द्वारा काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित ऊना के बैंक ड्राफ्ट संख्या 441038 दिनांक 07.07.2025 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित कर दिया गया।

4(क) वित्तीय स्थिति:-

सचिव, ग्राम पंचायत डंगोली द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 75(I)/2025 दिनांक 04-7-2025 के प्रत्युतर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत के अवधि 04/24 से 03/25 तक के लेखों की संकलित वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी, जिसका विस्तृत विवरण **संलग्न परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि दौरान स्वः स्त्रोत व अनुदान (समेकित),15वां वित्तायोग (online), WDC PMKSY2.0(PFMS) व मनरेगा (Online) रोकड़ बहियों का रख-रखाव किया गया था।

संकलित वित्तीय स्थिति						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	**वर्ष**	**प्रारम्भिक शेष (₹)**	**आय ब्याज सहित (₹)**	**कुल योग (₹) (3+4)**	**व्यय (₹)**	**अंतिम शेष (₹) (5-6)**
1	2024-25	2558545.32	7768762.00	10327307.32	7199301.00	3128006.32

(ख) बैंक समाधान विवरणी :-

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत डंगोली के अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31.03.25 को निम्नानुसार रोकड़ बही तथा बैंक खातों का अंतशेष रहा :-

	1)	दिनांक 31.03.25 को रोकड़ बही खाता पैरा 4(क) का अंतशेष	3127725.50
	2)	दिनांक 31.03.25 को बैंक का अन्तशेष **(परिशिष्ट क-1)**	3127725.50
	3)	दिनांक 31.03.25 को हस्तगत राशि	280.82
	4)	**योग (2+3)**	**3128006.32**
	5)	**अन्तर (4-1)**	**0**

4.2 स्व: स्त्रोत निधि के लिए स्वतंत्र खाते का संचालन न करना :

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) की अनुपालना में पंचायत निधियों के लिए स्वतंत्र खाता "क" (स्व: स्त्रोतों के लेन-देन हेतु) खोला जाना अपेक्षित है | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि स्व: स्त्रोत / सामान्य निधि व अन्य निधियों का संचालन एक ही बैंक खाते द्वारा किया जा रहा है | अत: खाता "क" के लिए स्वतंत्र रूप से बैंक खाते के साथ रोकड़ बही का संचालन न किए जाने के कारण पंचायत की स्व: स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति को अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाया जाना सम्भव नहीं हो सका |

5 सावधिक निवेश :-

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 80(I)/2025 दिनांक 02.07.2025 की अनुपालना में पंचायत सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 31(I)GDP/2025-26 दिनांक 04.07.2025 द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार पंचायत का अवधि 04/24 से 03/25 तक सावधि जमा योजना में निवेश शून्य था | अत: पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्वयं स्त्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बहियों का अलग-अलग रख-रखाव करके, स्वयं स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

6 अनुदान

6.1 अनुदान ₹31.2 लाख उपयोग हेतु शेष :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा-निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है । पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 80(I)/2025 दिनांक 02.07.2025 के प्रत्युतर में प्रस्तुत सूचना जोकि **(परिशिष्ट क)** पर सलंग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2025 तक अनुदान में (स्वः स्त्रोत सहित) प्राप्त राशियों में **₹3127725.5** की राशि उपयोग हेतू शेष थी | ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतू प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय करना अपेक्षित है । अतः उक्त वर्णित अनुपयुक्त अनुदान राशियों को यथाशीघ्र निर्धारित उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

6.2 अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है | इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 80(I)/2025 दिनांक 02.07.2025 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 31(I)GDP/2025-26 दिनांक 04.07.2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतू प्रस्तुत कर दिए जाएंगे | अतः अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना शीघ्र अंकेक्षण को दिखाई जाए।

6.3 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु जिम्मेवार होगा । अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 80(I)/2025 दिनांक 02.07.2025 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या 31(I)GDP/2025-26 दिनांक 04.07.2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश /

स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नही हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरांत मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है। यह एक अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अत: अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सकता कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे | अतः उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

स्वयं स्रोत

7 **विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि ₹0.03 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाना :-**

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200 प्रति पंजीकरण तथा देरी के लिए दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त किया जाना निर्धारित है, जिसे समय- समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0070-60-108-01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **सलंग्न परिशिष्ट "ख" अनुसार ₹3000** की वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था जिसका विवरण नीचे भी दिया गया है :-

क्रम संख्या	**वित्तीय वर्ष**	**विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि (₹)**
1	2024-25	3000

इस सम्बन्ध में जारी अधियाचना संख्या 80/2025 दिनांक 02.7.2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GPD 24/2025-26 दिनांक 04.07.2025 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा। अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई सम्पूर्ण राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

8 व्यय :

8.1 संविदाकार / आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से नियमानुसार स्त्रोत पर 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करने के कारण ₹0.08 लाख का अधिक भुगतान करना :-

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि.प्र. आबकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part(278/25)-29056 दिनांक 29/09/2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति / फर्म / संस्था / स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local authority / Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एक वित्तीय वर्ष में ₹250000/- से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1% सी.जी.एस.टी. + 1% एस.जी.एस.टी.-अन्तर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% आई.जी.एस.टी.-अंतर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित है | परन्तु जाँच दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में /-**(सलंग्न परिशिष्ट "ग" अनुसार)** आपूर्तिकर्ताओं को सामग्री की आपूर्ति के लिए **₹377077.00** (जी.एस.टी. को छोडकर) भुगतान किया गया था | लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा चयनित मासों के दौरान स्त्रोत पर **₹7541.00** की जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में कटौती नहीं की गई थी जोकि नियमानुसार अनुचित प्रक्रिया है |

TDS Details of GP Dangoli 2024-25

क्र स.	शीर्ष का नाम	वाउचर संख्या व् दिनांक	फर्म व् व्यक्ति का नाम	Bill No. / date	क्रय सामान का विवरण	मूल राशि without GST (₹)	GST/TDS की कटोती योग्य राशि (₹)
1	Planning	Own/2024-25/P/47	M/s Aditya Kumar Sharma	008/10-1-2025	Steel 10mm	40300	806
2	Planning	Own/2024-25/P/47	M/s Aditya Kumar Sharma	009/10-1-2025	Steel 12mm	42000	840

3	Planning	Own/2024-25/P/47	M/s Aditya Kumar Sharma	010/10-1-2025	Steel 12 & 16 mm	41460	829.2
4	Planning	Own/2024-25/P/47	M/s Aditya Kumar Sharma	011/10-1-2025	Steel 16 & 20 mm	37400	748
5	Planning	Own/2024-25/P/47	M/s Aditya Kumar Sharma	012/11-1-2025	Steel 12 & 10 mm	38554	771.08
6	Planning	Own/2024-25/P/47	M/s Aditya Kumar Sharma	013/11-1-2025	Steel 10 & 8 mm	37600	752
7	Planning	Own/2024-25/P/47	M/s Aditya Kumar Sharma	014/11-1-2025	Steel 8mm & wire	35248	704.96
8	Planning	Own/2024-25/P/49	M/s Aditya Kumar Sharma	017/04-2-2025	sand 100cft, agg. 100cft	44705	894.1
9	Planning	Own/2024-25/P/56	M/s Aditya Kumar Sharma	016/02-2-2025	sand 100cft, agg. 40mm 100cft	37106	742.12
10	Planning	Own/2024-25/P/57	M/s Aditya Kumar Sharma	015/29-1-2025	Agg. 20mm 100cft	22704	454.08
					Total	**377077.00**	**7541.54**

अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 85 /2025 दिनांक 04.07.2025 के प्रत्युत्तर में अपने पत्र संख्या 29/2025-26 दिनांक 04.07.2025 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित **₹7541** जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती बिलों में से नहीं की गई है जिसे भविष्य में नियमानुसार काटा जाएगा | उत्तर संतोषजनक नहीं है। अत: जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अपेक्षित राशि की वसूली सम्बन्धित फर्मो /

व्यक्तियों से करने उपरान्त सम्पूर्ण राशि सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

8.2 ₹6.99 लाख के निर्माण कार्य से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे,संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम, 2002 -पार्ट –बी के नियम -79 (2) के अनुसार पंचायत समिति सचिव को अंकेक्षण को आपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिम्मेवार रहना होगा। परन्तु चयनित माह के भुगतान बिलों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत समिति द्वारा नियम 94,95 व 101 के अंतर्गत अपेक्षित अभिलेख <u>जैसे निर्माण कार्यों प्राक्कलन, प्रशासनिक अनुमोदन /तकनीकी मंजूरी और वित्तीय व माप पुस्तिकाएं इत्यादि अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए</u> जिसके कारण **(सलंग्न परिशिष्ट "घ" अनुसार)** निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु किए गए **₹699480** के भुगतान अंकेक्षण में सत्यापित नहीं किया जा सका जो कि आपतिजनक है।

Sr. No	Financial Year	Scheme	Name of work/Head	Voucher No./ Dt./Payment Advice No./Dt/C.B.P No./Dt.	Supplier	Description	Paid Amt.(₹)
1	2024-25	Planning	For panchayat ghar	OWN/2024-25/P/47 01/02/2025	M/s Aditya Kumar Sharma	Steel	321623
2	2024-25	Planning	Muster Roll for panchayat ghar	OWN/2024-25/P/48 04/02/2025	Labour	Labour	49248
3	2024-25	Planning	For panchayat ghar	OWN/2024-25/P/49 11/02/2025	M/s Aditya Kumar Sharma	Sand Bazri	46940
4	2024-25	Planning	Rasta Shamshan Ghat	OWN/2024-25/P/50 11/02/2025	M/s Aditya Kumar Sharma	Carriage Shuttering	17700
5	2024-25	Planning	Rasta Shamshan	OWN/2024-25/P/51	M/s Aditya Kumar	Carriage Mixer	49560

			Ghat	11/02/2025	Sharma	Machine	
6	2024-25	Planning	For Pachayat ghar	OWN/2024-25/P/56 11/02/2025	M/s Aditya Kumar Sharma	Sand, Bajri	38961
7	2024-25	Planning	For Pachayat ghar	OWN/2024-25/P/57 11/02/2025	M/s Aditya Kumar Sharma	Sand, Bajri	23839
8	2024-25	Planning	For Panchayat ghar	OWN/2024-25/P/58 11/02/2025	H.P.S.C.S.Co. Ltd Nurpur	Cement	36503
9	2024-25	Planning	Muster Roll for panchayat ghar	OWN/2024-25/P/59 11/02/2025	Labour	Labour	32832
10	2024-25	Planning	Muster Roll for panchayat ghar	OWN/2024-25/P/60 11/02/2025	Labour	Labour	32832
11	2024-25	Planning	For Guru Ravi Dass Sidh Chano Temple	OWN/2024-25/P/66 11/02/2025	Ganpati Chogath House	Door, Window Palle	49442
						Total	**699480**

अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 81/2025 दिनांक 03.07.2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 25/2025-26 दिनांक 04.7.2025 द्वारा स्पष्ट किया कि आगामी अंकेक्षण में उपरोक्त कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत कर दिए जायेंगे। अत: उक्त अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा पूर्ण अभिलेख सहित अंकेक्षण को अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.3 ₹ 3.[illegible] लाख से खरीदे हुए सामान से सम्बन्धित E-Way Bill प्रस्तुत न करने बारे:-

अंकेक्षण में चयनित माह के भुगतान वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत डंगोली में फर्मों द्वारा सामान की आपूर्ति GST E way bill द्वारा नहीं किया गया है और

GST E way bill से बचने हेतु फर्मों द्वारा एक दिनांक में छोटे छोटे बिल जैसे कि कुल व्यय ₹50,000 से कम के बिल बनाकर आपूर्ति की गई है । जिससे स्पष्ट है कि आपूर्तिकर्ता द्वारा जानबूझकर ₹50,000/- से कम के बिल बनाकर GST E way bill और प्रदेश सरकार के अन्य वित्तीय नियमों से बचने के लिए ₹50,000/- से कम के बिल बनाकर आपूर्ति की गई है । चयनित माह के भुगतान वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत में फर्मों द्वारा निम्न विवरण अनुसार सामान की आपूर्ति **₹ 379956** की राशि के मूल बिलों के साथ E way bill सलंग्न नहीं किए गए थे । जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 12-4/78-EXN- Tax - 14104 dated 1st मई 2018 के अनुसार अगर सामान की कीमत ₹50000 से ऊपर है तो उस सामान की आपूर्ति E way bill द्वारा करना अनिवार्य है । E-Way Bill एक तरह का इलेक्ट्रोनिक बिल है जो कि GST पोर्टल पर बनता है, GST सिस्टम के तहत किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने के लिए उस सामान का ऑनलाइन बिल तैयार किया जाता है। यह बिल ₹50,000 या उससे अधिक मूल्य के सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए ज़रूरी है । माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 68 के तहत, माल की आवाजाही शुरू होने से पहले पंजीकृत लोगों या ट्रांसपोर्टरों द्वारा एक ई-वे बिल तैयार किया जाना चाहिए। इससे वास्तविक समय में माल की आवाजाही पर नज़र रखता है, यह एक डिजिटल प्रणाली है, जो माल के परिवहन से संबंधित जानकारी को ऑनलाइन दर्ज करती है, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और कुशल हो जाती है । इस प्रकार ग्राम पंचायत उक्त सामान की खरीद को संदेहजनक होने के साथ साथ नियमों की अवहेलना करना दर्शाता है । इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 84/2025 दिनांक 04.7.2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GPD/28/2025-26 दिनांक 04.7.2025 द्वारा स्पष्ट किया भविष्य में उपरोक्त नियमों की पालना की जाएगी । यह एक संतोषजनक उत्तर नहीं है, उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में नियमानुसार उचित कार्यवाही अमल लाई जाना सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए । इसके अतिरिक्त यह भी सुझाव दिया जाता है कि ₹50,000 या उससे अधिक मूल्य के सामान की प्राप्ति e –way bill द्वारा सुनिश्चित की जाए और मूल बिलों के साथ सलंग्न किया जाए। अन्यथा माल परिवहन के लिए चालान या ई-वे बिल बनाने में विफल होना एक गंभीर अपराध है, इससे ₹10,000 या अधिक राशि के जुर्माने का भी प्रावधान है। इस प्रकार e –way bill ख़रीदे गए

सामग्री की आपूर्ति / आवाजाही को अधिक पारदर्शी बनाता है और यह कर चोरी को भी रोकता है।

क्र स.	वाउचर संख्या व् दिनांक	फर्म व् व्यक्ति का नाम	Bill No. / date	क्रय सामान का विवरण	मूल राशि without GST (₹)
1	Own/2024-25/[illegible]47	M/s Aditya Kumar Sharma	008/10.1.25	Steel 10mm	40300
2	Own/2024-25/[illegible]47	M/s Aditya Kumar Sharma	009/10.1.25	Steel 12mm	42000
3	Own/2024-25/[illegible]47	M/s Aditya Kumar Sharma	010/10.1.25	Steel 12 & 16 mm	41460
4	Own/2024-25/[illegible]47	M/s Aditya Kumar Sharma	011/10.1.25	Steel 16 & 20 mm	37400
5	Own/2024-25/[illegible]47	M/s Aditya Kumar Sharma	012/11.1.25	Steel 12 & 10 mm	38554
6	Own/2024-25/[illegible]47	M/s Aditya Kumar Sharma	013/11.1.25	Steel 10 & 8 mm	37600
7	Own/2024-25/[illegible]47	M/s Aditya Kumar Sharma	014/11.1.25	Steel 8mm & wire	35248
8	131[illegible]05ML2510 10.[illegible].2024	HPSCC Ltd Una	122042/10.9.24	Cement 300 bags	107394
				Total	**379956**

8.4 अग्रिम राशि ₹1.07 लाख का समायोजन हेतु शेष पाया जाना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 30 के अनुसार पंचायत द्वारा फार्म-9 में अस्थायी अग्रिमों का रजिस्टर तैयार करना तथा किए गये अग्रिमों का वित्तीय वर्ष के अंत में समायोजन किया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान अस्थायी अग्रिमों के रजिस्टर को प्रस्तुत नहीं किया गया और चयनित माह के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित ऊना को सीमेंट के क्रय हेतु राशि **₹1,07,394** का अग्रिम प्रदान किया गया था, परंतु दिनांक 31.03.2025 तक उक्त राशि का समायोजन नहीं हुआ था, जिसका विवरण में दिया गया है। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अनुदान शीर्ष : मनरेगा (MGNREGA)							
क्र०सं०	**आपूर्तिकर्ता**	**वा०सं०/ दिनांक**	**UTR No.**	**मद का नाम**	**दर**	**मात्रा (बैग)**	**भुगतान की गई राशि (₹)**
1.	HPSCSC Una	1312005-ML2510 10.09.2024	-	सीमेंट	₹357.98	3[illegible]	1,07,394.00

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 87/2025 दिनांक 04.7.2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 31/2025-26 दिनांक 04.7.2025 द्वारा स्पष्ट किया कि उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में नियमानुसार उचित कार्यवाही अमल लाई जाएगी व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा।

8.5 (क) लोक संपर्क विभाग हि० प्र० के माध्यम की अपेक्षा सीधे तौर पर समाचार पत्रों में छपवाए गये विज्ञापनों हेतु किये गये भुगतानों से 15 % कमीशन की कटौती न करके सरकारी राजस्व ₹400 की वितीय हानि बारे :-

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या: 2006/[illegible]-15 Pub 92-14263 दिनांक 30.08.2006 व पत्र संख्या 1-PR-H (F)-4(APP)/2013 में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार समस्त विभागों, बोर्ड व कॉरपोरेशन द्वारा सभी प्रकार के विज्ञापन सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग हिमाचल प्रदेश के माध्यम से छपवाए जाने आवश्यक हैं तथा विज्ञापन सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग हिमाचल प्रदेश के माध्यम से न छपवाए जाने की स्थिति में विज्ञापन हेतु भुगतान की जाने वाली राशि में से 15% कमीशन के रूप में कटौती करके हिमाचल प्रदेश सरकार के आय शीर्षक -300-60-220 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण अवधि 04/2024 से 03/2025 के दौरान विभिन्न व्यय वाउचरों के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि जिला परिषद् द्वारा विज्ञापन छपवाने हेतु में अनुसार ₹3000/-का भुगतान विभिन्न फर्मों को किया गया था तथा यह राशि सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग के माध्यम से व्यय नहीं की गई थी, जोकि सरकार के उक्त निर्देशों के प्रतिकूल है जिसके कारण 15% की दर से कमीशन के रूप में ₹4[illegible]/-की हिमाचल प्रदेश सरकार को परोक्ष रूप से हानि हुई है। अतः 15% कमीशन के रूप में ₹450/- की

हिमाचल प्रदेश सरकार को हुई राजस्व हानि को या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इस सन्दर्भ में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

वाउचर संख्या व् दिनांक	**कार्य**	**बिल संख्या / दिनांक**	**विज्ञापन एजेंसी**	**बिल राशि (₹)**	**आपेक्षित 15% कमीशन (₹)**
OWN/2024-25/P/21 13.08.2024	निविदा हेतु विज्ञापन	FOCUS/24-25/286/ 17-7-24	Focus Himachal Media Pvt. Ltd.	1500/- (with GST)	225
OWN/2024-25/P/17	निविदा हेतु विज्ञापन	YH-056323-25/PB	Yugmarg Publications	1500/- (with GST)	225
			कुल योग	**3000**	**450**

अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 82/2025 दिनांक 03.7.2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 26/2025-26 दिनांक 04.7.2025 द्वारा स्पष्ट किया कि भविष्य में विज्ञापनों हेतु भुगतान लोक सम्पर्क विभाग द्वारा ही किया जाएगा। उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में नियमानुसार उचित कार्यवाही अमल लाई जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) विज्ञापित निविदा प्रणाली अपनाने हेतु नियमों की अवहेलना करने बारे :-

अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा विज्ञापित निविदा प्रणाली अपनाने हेतु HPFR 2009 के अधिनियम 102 की अवहेलना की जा रही है। उक्त अधिनियम अनुसार विज्ञापित निविदा प्रणाली अपनाने हेतु विज्ञापनों को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश और व्यापक रूप से परिचालित कम से कम दो अग्रणी दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया जाए परन्तु उक्त अभिलेख अनुसार समाचार पत्र "Focus Himachal Media Pvt. Ltd" और "Yugmarg Publications" में दिया गया है। अंकेक्षण को ऐसे समाचार पत्र जिसकी wide circulation नहीं है में विज्ञापित करने व उक्त नियमों की अवहेलना करना दर्शाता है। अत: उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में नियमानुसार उचित कार्यवाही अमल लाई जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.6 ग्राम पंचायत द्वारा स्टोर व निर्माण कार्य हेतु सामग्री इत्यादि की खरीद हेतु निविदा प्रणाली में गम्भीर आपत्तियाँ पाई जाने बारे : -

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4), 67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने, निविदाओं (Quotations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची, आपूर्ति आदेश इत्यादि औपचारिकतायें प्रावधित है। उपरोक्त अतिरिक्त अंकेक्षण में पाया गया कि निविदाओं को आमंत्रित करने में प्रदेश सरकार के वित्तीय नियमों का पालन ढंग से नहीं किया जा रहा है, उदाहरणत: ग्राम प्रांचायत द्वारा निविदाएँ प्राप्त करने हेतु समाचार पत्रों में दिए गए विज्ञापन में वर्णित शर्तों व नियमों की पालन स्वयं ग्राम पंचायत द्वारा नहीं किया जा रहा है जैसे कि शर्तों व नियमों में स्पष्ट लिखा होता है कि आपूर्तिकर्ता / फर्म व सेवप्रदाता के पास GST नंबर अनिवार्य है, बिना GST के निविदा मान्य नहीं है, परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि निविदाएं प्राप्ति के समय इन नियमों का पालन स्वयं ग्राम पंचायत द्वारा नहीं किया जा रहा है। इनमे मुख्य अनियमितताएँ इस प्रकार से हैं जैसे कि निविदाओं को बिना GST नंबर के स्वीकार करना, निविदाओं पर कोई भी पत्र संख्या / reference number व दिनांक कोई भी न वर्णन करना, निविदा भेजने वाले का पूरा नाम व पत्ता नहीं होना, निविदाओं को प्राप्त करने उपरान्त comparative statement न तैयार करना, फ़र्म के बिना लेटर हैड व अधूरी सूचना / गलत GST नंबर का लिखा जाना इत्यादि पाया जाना। इस प्रकार नियमानुसार सामग्री क्रय न करने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किसी व्यक्ति विशेष/ आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ पहुंचाने की संभावना एवं व्यय राशि के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 86/2025 दिनांक 04.7.2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 30/2025-26 दिनांक 04.7.2025 द्वारा स्पष्ट किया कि भविष्य में नियमों पूर्णतया पालन किया जायेगा और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। ग्राम पंचायत द्वारा स्टोर व निर्माण कार्य हेतु सामग्री इत्यादि की खरीद हेतु अपनाई जा रही निविदा प्रणाली में गम्भीर अनियमितताएं पाया जाना एक चिंतनीय विषय है। अतः उक्त विषय पर सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में निविदाएँ प्राप्त करने हेतु समाचार पत्रों में दिए गए विज्ञापन में वर्णित शर्तों व नियमों का पालन नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि सामान की खरीद में अधिक पारदर्शिता के साथ बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ भी उठाया जा सके।

9 विभिन्न रजिस्टरों का रख-रखाव न करना :-

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 80(II)/2025 दिनांक 04.07.2025 द्वारा पंचायत सचिव से निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की, जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अंतर्गत बनाया जाना वांछित था। प्रतिउत्तर में सचिव, द्वारा अपने पत्र संख्या 30(I)GPD2025-26 दिनांक 04.07.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्टरों / अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है। यह अनियमित व आपत्तिजनक है | अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

क्रम संख्या	रजिस्टर / अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
3	गृहकर मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	बजट प्राकलन	11	37
5	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
6	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(1)
7	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
8	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
9	बैंक समाधान विवरणी	--	7 (3) व 10 (1)
10	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	--	103
11	स्टेशनरी रजिस्टर	28	72(1) (सी व डी)
12	बिल रजिस्टर	13	48

10 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 80(I)/2025 दिनांक 04.07.2025 के क्रम संख्या 7 की अनुपालना में अपने पत्र संख्या 31(I)GPD2025-26 दिनांक 04.07.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया

गया कि अंकेक्षण अवधि 04/24 से 03/25 तक स्टोर / स्टॉक का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करवाया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है | अतः इस सन्दर्भ में आपको परामर्श दिया जाता है कि अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11 **लघु आपत्ति विवरणिका:-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया है |

12 **निष्कर्ष:-** लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

21.8.25

(कृष्ण लाल नेगी)
सहायक नियंत्रक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

का0/प्रति

5470 – 5474 21 AUG 2025

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(5)79/2022–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी ऊना, जिला ऊना, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत डंगोली, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

21 AUG 2025

21.8.25

(कृष्ण लाल नेगी)
सहायक नियंत्रक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

का0/प्रति

परिशिष्ट "क" पैरा संख्या 4.1 (क) में संदर्भित

ग्राम पंचायत डंगोली विकास खण्ड व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक की संकलित वित्तीय स्थिति (1+2)						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	2558545.32	7768762	10327307.32	7,199,301	3128006.32

Panchayat Secretary
G.P. Dangoli,
Block & Distt Una (H.P.)

ग्राम पंचायत डंगोली, विकास खण्ड व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

1) स्वयं स्त्रोत व अनुदान 15वां वित्तायोग सहित (समेकित) Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	2558545.32	4771711	7330256.32	4202250	3128006.32

1 (a) स्वयं स्त्रोत व अनुदान 15वां वित्तायोग के अतिरिक्त (समेकित) Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	674805.32	2579791	3254596.32	2663383	591213.32

1 (b) 15वां वित्तायोग Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	1883740	2191920	4075660	1538867	2536793

2) मनरेगा (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	0	1492276	1492276	1492276	0

2. (A) SBM (PFMS) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	0	460236	460236	460,236	0

20 checked

Panchayat Secretary
G.P. Dangoli,
Block & Distt Una (H.P.)

2. (B) WDC,PMKSY2.O (PFMS) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	0	1044539	1044539	1,044,539	0

Panchayat Secretary
G.P. Dangoli,
Block & Distt Una (H.P.)

परिशिष्ट -'क-1'

Gram Panchayat Dangoli, Block Una

दिनांक 31.03.25 को बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)
1	KCCB - OWN/GIA	20013012832	589881.5
	IDBI - GIA (MMAY)	1899104000010654	1051
	IDBI - GIA (SBM)	1899104000030807	0
	IDBI - 15TH	189910400002308 3	2536793
		योग	3127725.5
2		हस्तगत राशि (स्व: स्त्रोत व अनुदान)	280.82
		योग (1+2)	**3128006.32**

Panchayat Secretary
G.P. Dangoli,
Block & Distt.Una (H.P.)

परिशिष्ट "ख" पैरा संख्या 7 में संदर्भित

ग्राम पंचायत डंगोली, विकासखण्ड ऊना , जिला ऊना हि. प्र.

दिनांक 01. 04. 2024 से 31. 03. 2025तक विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-

क्रम सं.	नाम	विवाह की तारीख	पंजीकरण की तिथि	रसीद संख्या	वसूली योग्य राशि	वसूल की गई राशि	वसूली हेतु बकाया राशि
1	गुरमीत सिंह	05/02/24	03/04/24	164831	400	400	शून्य
2	सुच्चा सिंह	14/04/24	07/05/24	164832	200	200	शून्य
3	अभिनीत राणा	18/04/24	07/05/424	164833	200	200	शून्य
4	जरनैल सिंह	28/04/24	17/05/24	164834	200	200	शून्य
5	अजय कुमार	21/04/24	02/07/24	164844	400	400	शून्य
6	जसवीर कुमार	30/07/24	16/08/24	164849	200	200	शून्य
7	बीरवल	08/08/24	02/09/24	164851	200	200	शून्य
8	अजीत कुमार	21/10/24	13/11/24	164856	200	200	शून्य
9	गुर्मिन्द्र सिंह	23/11/24	12/12/24	164860	200	200	शून्य
10	रमन कुमार	27/10/24	21/12/24	164861	400	400	शून्य
11	संजीव कुमार	18/02/25	07/03/25	163396	200	200	शून्य
12	योगेश कुमार	18/02/25	10/03/25	163403	200	200	शून्य

कुल योग 3,000.00

Panchayat Secretary
G.P. Dangoli,
Block & Distt.Una (H.P.)

[illegible]

परिशिष्ट" __ "   पैरा संख्या __ में संदर्भित

ग्राम पंचायतडंगोली, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना

अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025बिलों से नियमानुसार स्त्रोत पर 2%जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न बारे

TDS Details of GP Dangoli 2024-25

क्रस.	शीर्ष का नाम	वाउचर संख्या व्दिनांक	फर्म व् व्यक्ति कानाम	Bill No. / date	क्रय सामान काविवरण	मूल राशी without GST	GST/TDS की कटोती योग्यराशि
1	Planning	Own/2024-25/P/47	M/s Aditya Kumar Sharma	008/10-1-2025	Steel 10mm	40300	806
2	Planning	Own/2024-25/P/47	M/s Aditya Kumar Sharma	009/10-1-2025	Steel 12mm	42000	840
3	Planning	Own/2024-25/P/47	M/s Aditya Kumar Sharma	010/10-1-2025	Steel 12 & 16 mm	41460	829.2
4	Planning	Own/2024-25/P/47	M/s Aditya Kumar Sharma	011/10-1-2025	Steel 16 & 20 mm	37400	748
5	Planning	Own/2024-25/P/47	M/s Aditya Kumar Sharma	012/11-1-2025	Steel 12 & 10 mm	38554	771.08
6	Planning	Own/2024-25/P/47	M/s Aditya Kumar Sharma	013/11-1-2025	Steel 10 & 8 mm	37600	752
7	Planning	Own/2024-25/P/47	M/s Aditya Kumar Sharma	014/11-1-2025	Steel 8mm & wire	35248	704.96
8	Planning	Own/2024-25/P/49	M/s Aditya Kumar Sharma	017/04-2-2025	sand 100cft, agg. 100cft	44705	894.1
9	Planning	Own/2024-25/P/56	M/s Aditya Kumar Sharma	016/02-2-2025	sand 100cft, agg. 40mm 100cft	37106	742.12
10	Planning	Own/2024-25/P/47	M/s Aditya Kumar Sharma	015/20-1-2025	Agg. 20mm 100cft	22704	454.08
					Total	377077.00	7541.54

24

Panchayat Secretary
G.P. Dangoli,
Block & Distt.Una (H.P.)

परिशिष्ट 'घ' पैरा संख्या 8.2 के सन्दर्भ में
ग्राम पंचायत डंगोली निर्माण कार्यों के समर्थन में सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे

GRAM PANCHAYAT DANGOLI

Sr. no	Financial Year	Scheme	Name of work/Head	Voucher No./ Dt./Payment Advice No./Dt/C.B.P No./Dt.	Supplier	Description	Paid Amt.(Rs.)
1	2024-25	Planning	For panchayat ghar	OWN/2024-25/P/47 01/02/2025	M/s Aditya Kumar Sharma	Steel	321623
2	2024-25	Planning	Muster Roll for panchayat ghar	OWN/2024-25/P/48 04/02/2025	Labour	Labour	49248
3	2024-25	Planning	For panchayat ghar	OWN/2024-25/P/49 11/02/2025	M/s Aditya Kumar Sharma	Sand, Bazri	46940
4	2024-25	Planning	Rasta Shamshan Ghat	OWN/2024-25/P/50 11/02/2025	M/s Aditya Kumar Sharma	Carriage Shetring	17700
5	2024-25	Planning	Rasta Shamshan Ghat	OWN/2024-25/P/51 11/02/2025	M/s Aditya Kumar Sharma	Carriage Mixer Machine	49560
6	2024-25	Planning	For Pachayat ghar	OWN/2024-25/P/56 11/02/2025	M/s Aditya Kumar Sharma	Sand, Bajri	38961
7	2024-25	Planning	For Pachayat ghar	OWN/2024-25/P/57 11/02/2025	M/s Aditya Kumar Sharma	Sand, Bajri	23839
8	2024-25	Planning	For Panchayat ghar	OWN/2024-25/P/58 11/02/2025	H.P.S.C.S.Co. Ltd Nurpur	Cement	36503
9	2024-25	Planning	Muster Roll for panchayat ghar	OWN/2024-25/P/59 11/02/2025	Labour	Labour	32832
10	2024-25	Planning	Muster Roll for panchayat ghar	OWN/2024-25/P/60 11/02/2025	Labour	Labour	32832
11	2024-25	Planning	For Guru Ravi Dass Sidh Chano Temple	OWN/2024-25/P/66 11/02/2025	Ganpati Chogath House	Door, Window Palle	49442
							699480

Panchayat Secretary
G.P. Dangoli
Block & Distt. Una (H.P.)
04/07/25

25